भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1616

उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025

सोमवार, 19 फाल्गुन 1946 (शक)

कौशल भारत कार्यक्रम का पुनर्गठन

1616. श्री बिद्युत बरन महतो: श्री गोडम नागेश: श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री पी. पी. चौधरी: श्री मनोज तिवारी: श्री कंवर सिंह तंवर:
डॉ. के. सुधाकर: डॉ. निशिकान्त दुबे: श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री देवुसिंह चौहान: श्री नव चरण माझी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष रूप से जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में कौशल भारत कार्यक्रम का पुनर्गठन उद्योग की मांगों और एआई, 5जी और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ अधिक एकीकरण सुनिश्चित करता है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के पुनर्गठन के माध्यम से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में चिन्हित किए गए कौशल अंतराल को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम के माध्यम से अर्जित कौशल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले, उक्त कार्यक्रम के पुनर्गठन के तहत किए गए विशिष्ट प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जलगांव सहित महाराष्ट्र के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित कार्यक्रम के तहत कोई विशेष पहल की गई है और यदि हां, तो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और लक्षित लाभार्थियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कौशल भारत कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(च) कर्नाटक राज्य के लिए विभिन्न श्रेणियों हेतु कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्नाटक और पूरे देश में मिशन के तहत कुशल लोगों को उचित रोजगार मिल सके और इसके लिए पर्याप्त सहायता दी जा सके, क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कुशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी) में तीन स्कीमें अर्थात (i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), (ii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (पीएम-एनएपीएस), और (iii) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम, शामिल हैं जो महाराष्ट्र राज्य के जलगांव निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में उद्योग-मांगों और एआई, 5जी, साइबर सुरक्षा, आईओटी, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ अधिक एकीकरण सुनिश्चित करती हैं।

पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, उद्योग जगत की उभरती मांगों और आधुनिक युग की तकनीक के आगमन के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए, एआई, 5जी तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन तकनीक पर 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जो उभरती प्रौद्योगिकियों और भावी कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पीएम-एनएपीएस के तहत, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, आईओटी सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और मैकेनिक ईवी जैसे उभरते क्षेत्रों सहित मौजूदा विनिर्माण में शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जेएसएस के अंतर्गत, कौशल पाठ्यक्रमों को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और संबंधित जिले की स्थानीय जरूरतों के साथ संरेखित किया जाता है।

(ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल अंतर अध्ययन, उद्योग परामर्श और जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) के माध्यम से घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और हाइपरलोकल बाजारों से कौशल आवश्यकताओं का नियमित रूप से आकलन करता है। यह पहल कार्यबल को अनुकूलनीय और उद्योग के लिए तैयार बनाए रखने के लिए निरंतर कौयशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण पर भी बल देती है।

(ग) एसआईपी के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी कौशल प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हैं, जो क्रेडिट असाइनमेंट और संचय के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा है। एनएसक्यूएफ क्रेडिट ट्रांसफर प्रावधानों के माध्यम से कौशल के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करता है, जिससे ये क्रेडिट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक स्वीकार्य और हस्तांतरणीय हो जाते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय समकक्षता के माध्यम से अन्य देशों द्वारा भारतीय शिक्षा और कौशल को व्यापक मान्यता और स्वीकृति प्रदान करता है, विदेशी कौशल निकायों और संस्थानों के साथ आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

(घ) एसआईपी के अंतर्गत स्कीमें महाराष्ट्र राज्य के जलगांव सहित ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों सहित अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है जो भारत के आर्थिक लक्ष्यों और उभरते वैश्विक रुझानों के साथ संरेखित हैं। इनमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज (एआई, आईओटी, डेटा साइंस), ग्रीन एनर्जी (सोलर, ईवी, सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर), हेल्थकेयर (मेडिकल डिवाइस, जेरिएट्रिक केयर), कृषि (प्रिसिजन फार्मिंग, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन), वित्तीय सेवाएं (डिजिटल बैंकिंग) और ई-कॉमर्स (रिटेल, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट) शामिल हैं। पीएम-एनएपीएस के अंतर्गत, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, आईओटी सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और मैकेनिक ईवी जैसे उभरते क्षेत्रों सहित प्रचलित विनिर्माण में शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जेएसएस के तहत, कौशल पाठ्यक्रमों को संबंधित जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) के साथ जोड़ा जाता है।

(ङ) दिनांक 31.12.2024 तक एसआईपी की स्कीमों के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(च) दिनांक 31.12.2024 तक कर्नाटक राज्य में एसआईपी की स्कीमों के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की श्रेणी-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(छ) पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया गया है। उम्मीदवारों को संभावित नियोक्ताओं से सीधे जोड़ने के लिए एसएससी, प्रशिक्षण प्रदाताओं और कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से रोज़गार मेलों का आयोजन किया जाता है। प्रतिष्ठानों और उम्मीदवारों के बीच सक्रिय बातचीत के लिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेलों (पीएमएनएएम) का आयोजन मासिक रूप से किया जाता है। पीएम-एनएपीएस घटक के तहत, शिक्षुओं को उद्योगों के साथ जोड़ा जाता है और शिक्षुता को प्रोत्साहित करने के लिए,

शिक्षुओं को डीबीटी के माध्यम से प्रति प्रशिक्षु 1,500 रू. प्रति माह तक का 25% वृत्तिका प्रदान किया जाता है। उद्यमशीलता और आजीविका संवर्धन के लिए उम्मीदवारों को उन्मुख करने के लिए प्रत्येक जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में एक आजीविका प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

अनुबंध-I

दिनांक 10.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1616 के भाग (ङ) के संदर्भ में अनुबंध।

दिनांक 31.12.2024 तक एसआईपी स्कीमों के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का राज्य-वार विवरण।

क्र.सं.	राज्य का नाम	पीएमकेवीवाई 4.0	पीएम-एनएपीएस	जेएसएस
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,517	186	4,300
2	आंध्र प्रदेश	63,460	52,964	33,209
3	अरुणाचल प्रदेश	13,387	155	-
4	असम	1,07,966	22,634	25,839
5	बिहार	1,08,061	15,341	1,10,634
6	चंडीगढ़	878	3,340	4,696
7	छत्तीसगढ	23,517	14,677	69,061
8	दिल्ली	19,900	47,343	16,393
9	गोवा	419	24,991	5,040
10	गुजरात	57,667	2,24,797	43,808
11	हरियाणा	92,667	1,79,864	19,334
12	हिमाचल प्रदेश	21,760	23,940	52,339
13	जम्मू और कश्मीर	1,05,785	2,607	1,580
14	झारखंड	35,857	27,648	56,655
15	कर्नाटक	56,946	2,06,213	63,520
16	केरल	17,570	36,109	47,477
17	लद्दाख	743	140	812
18	लक्षद्वीप	120	16	3,513
19	मध्य प्रदेश	2,65,885	63,253	1,44,891
20	महाराष्ट्र	98,595	6,53,877	1,05,776
21	मणिपुर	18,943	227	20,674
22	मेघालय	9,528	581	3,700
23	मिजोरम	9,452	151	4,445
24	नागालैंड	9,759	50	4,630
25	ओडिशा	44,957	27,819	1,42,711
26	पुदुचेरी	3,837	6,868	-

27	पंजाब	1,10,305	41,618	9,078
28	राजस्थान	2,76,211	50,522	42,715
29	सिक्किम	5,659	830	-
30	तमिलनाडु	1,08,777	2,50,167	40,844
31	तेलंगाना	33,049	93,001	31,746
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,708	6,635	7,474
33	त्रिपुरा	17,663	1,004	10,757
34	उत्तर प्रदेश	4,65,694	1,88,107	2,42,517
35	उत्तराखंड	44,500	54,783	41,460
36	पश्चिम बंगाल	56,113	73,413	35,538
	योग	**23,08,855**	**23,95,871**	**14,47,166**

अनुबंध-II

दिनांक 31.12.2024 तक कर्नाटक राज्य में एसआईपी स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की श्रेणी-वार संख्या।

श्रेणी	पीएमकेवीवाई 4.0	पीएमएनएपीएस-	जेएसएस
सामान्य	17,602	1,14,836	6,267
ओबीसी	25,104	60,087	28,905
एससी	6,211	23,449	13,822
एसटी	2,242	7,839	6,493
अन्य	5,787	-	8,033
योग	**56,946**	**2,06,211**	**63,520**

*****